

नोटिस



आईटीएमएस/ यातायात प्रबंधन केंद्र
यातायात थाना प्रभारी कार्यालय,
यातायात थाना, एमटीएच कम्पाउण्ड,
इंदौर(म0प्र0)

ई-चालान नोटिस क्र. : 139294156

आईटीएमएस द्वारा पहचान की गई है कि आप/ आपके चालक द्वारा सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाते हुये निम्न स्थान/दिनांक/समय पर यातायात नियमों का उल्लंघन किया गया है जो कि मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।



Registration No	MP09AL6410	Name Of Owner	HA*** NA*****
Vehicle Class	M-Cycle/Scooter(2WN)	Address	HO*** NO***** IN**** VI*** NA**** , , In*****
Date of Violation	05-11-2025	Latitude,Longitude	22.740034000000424, 75.88050900000013
Place of Violation	Patnipura2	Time of Violation	08:49:25

नियमों का उल्लंघन

स.क्र.	नियम	समन शुल्क(रूपये)
1	दो पहिया वाहन चलाते समय चालक हेलमेट पहने नहीं (129/194) d	300

आईटीएमएस/सीसीटीवी नोटिस

इस हेतु आप उक्त नियमों के उल्लंघन के प्रति-उत्तर में यदि आप अपना जबाब दावा प्रस्तुत करना चाहते हैं, अथवा तत्काल भुगतान संबंधित कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु दी गई लिंक पर क्लिक कर (<https://itmschallan.parivahan.gov.in/raise-grievance>) नोटिस की सूचना प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर भुगतान कर सकते हैं। यदि वाहन मालिक/ वाहन चालक व्यक्तिगत संपर्क करना चाहते हैं, तो अधो-हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं एवं चालान बनने की दिनांक से सूचना प्राप्ति के 15 दिवस में भुगतान करना अनिवार्य है। अन्यथा आपके विरुद्ध सम्बंधित क्षेत्राधिकार वाले माननीय न्यायालय की ओर अग्रिम वैधानिक/कानूनी कार्यवाही के लिए प्रेषित किया जाएगा।



नोट :-

- तत्काल भुगतान की कार्यवाही करने हेतु लिंक : (<https://itmschallan.parivahan.gov.in/raise-grievance>)
- आनलाईन भुगतान करने हेतु लिंक : <https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan>

प्रभारी अधिकारी ई चालान
यातायात थाना प्रभारी कार्यालय
एमटीएच कम्पाउण्ड इंदौर(म0प्र0)
H.N:- 0731-2549819